न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1443-तीन/2000 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-1997 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 248/96-97 स्व0 निगरानी

संतोष सिंह पुत्र शम्भूसिंह
ग्राम मानपुर तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर कलॉं म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर
श्योपुर कलॉं मध्यप्रदेश --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 7 -1 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 248/1996-97 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुरकलॉं को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम फतेपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 390/2, 392 रकबा 5 वीघा (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) पर अतिकमण होकर खेती करता आ

रहा है इसलिये दखल रहित भूमि के तहत भूमि व्यस्थापित की जावे। तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरणकमांक 255/94-95 अ 19 दर्ज करके आदेश दिनांक 26-6-95 पारित किया तथा आवेदक को उक्त भूमि व्यवस्थापित कर दी। तहसीलदार के प्रकरण के परीक्षण में अनियमिततायें पाये जाने से अपर आयुक्त, चंबल संभाग ने स्व0 निगरानी प्रकरण कमांक 248/1996-97 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 31-3-1997 पारित करके तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 26-6-95 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक का 2-10-84 के पूर्व से वादोक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है एंव आज भी निरन्तर कब्जा करके खेती कर रहा है आवेदक भूमिहीन कृषि श्रमिक है। तहसीलदार ने इस्तहार निकाल कर ग्रामीणों से आपत्तियां बुलाई हैं । लम्बी अवधि के वाद स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करना बर्जित है। अपर आयुक्त व्दारा स्वमेव निगरानी के दौरान आवेदक को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 255/94-95 अ 19 में दिये गये भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 26-6-1996 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने दिनांक 5-3-1997 को स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज किया है जहां तक स्वमेव पुनरीक्षण विलम्ब से दर्ज करने का प्रश्न है ? इस अवधि के बीच शिकायत

पर से तहसीलदार के व्यवस्थापन प्रकरण की जांच भी हुई है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा-50- व्याप्ति - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के लिये परिसीमा निर्धारित नहीं है। सक्षम अधिकारी जानकारी के दिन से स्वमेव पुनरीक्षण कर सकता है। (रामगुरू विरूद्ध राजेन्द्र मेहरा एंव म0प्र0राज्य 2005 रा.नि. 300 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा-50- भूमि व्यवस्थापन में प्रकियात्मक अनियमिततायें की गई - स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है - समय-सीमा की पाबंदी नहीं है।

आवेदक के अभिभाषक व्दारा पुनरीक्षण विलम्ब से किये जाने वावत् उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने सुनवाई का समुचित अवसर न मिलने का तर्क दिया है , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 248/1996-97 स्वमेव निगरानी के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा दिनांक 5-3-1997 को स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करके आवेदक को सुनवाई हेतु पेशी 17-3-1997 की नियत कर विधिवत् कारण अंकित करते हुये नोटिस जारी किया है अपर आयुक्त की आर्डरशीट दिनांक 17-3-1997 एंव 31-3-97 इस प्रकार है।

17-3-97 - प्रकरण पेश। नोटिस वाद तामील प्राप्त। बकालातनामा पेश । अभिभाषक जबाव हेतु समय चाहते हैं । प्रकरण में जवाव एंव बहस हेतु नियत। पेशी 31-3-97

31-3-97 अनावेदक अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक व्दारा जबाव पेश किया गया। अनावेदक अभिभाषक की बहस श्रवण की गई। प्रकरण आदेशार्थ।

उक्त के वावजूद आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क देना उचित प्रतीत नहीं होता है कि अपर आयुक्त व्दारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। पेशी 31-3-97 के दिन उत्तर प्रस्तुत करने के उपरांत यदि आवेदक अथवा उसके अभिभाषक कुछ अभिलेख / साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते थे वह अंतिम बहस न करके तदाशय की मांग कर सकते थे और इन्हीं कारणों से आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 248/1996-97 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर